रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1050] नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2010/ज्येष्ठ 10, 1932
No. 1050] NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2010/JYAISTHA 10, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2010

आय-कर

का.आ. 1261(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठवां संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2010 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 30, 31, 31क और 31कक के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"स्रोत पर काटे गए कर या धारा 192 की उप-धारा (1क) के अधीन संदत्त कर के सरकारी खाते में संदाय करने का समय और ढंग ।

30. (1) अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसरण में सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटी गई सभी राशियां केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में—

(क) जहां किसी आय-कर चालान को पेश किए बिना कर संदत्त किया जाता है, उसी दिन संदत्त की जाएगी; और

(ख) जहां, किसी आय-कर चालान के साथ कर संदत्त किया जाता है, वहां, उस मास के अंत से, जिसमें कर की कटौती की जाती है या धारा 192 की उप-धारा (1क) के अधीन शोध्य हो जाता है आय-कर या सात दिन के भीतर कर संदत्त करना होगा ।

(2) सरकार के किसी कार्यालय से भिन्न किसी कटौतीकर्ता द्वारा अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसरण में काटी गई सभी राशियां केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में —

(क) जहां आय या रकम मार्च मास में जमा या संदत्त है तीस अप्रैल को या उसके पहले संदत्त की जाएगी; और

(ख) किसी अन्य दशा में, उस मास के अंत में, या उससे सात दिन के भीतर संदत्त की जाएगी, जिसमें—

(i) कटौती की गई है ; या

(ii) धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन आय-कर शोध्य है ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष मामले में, निर्धारण अधिकारी, संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से धारा 192 या धारा 194क या धारा 194घ या धारा 194ज के अधीन कर कटौती का तिमाही संदाय करने को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट अवधि में, अनुज्ञात होगा :- -

सारणी

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत पर	तिमाही संदाय के तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	30 जून	7 जुलाई
2.	30 सितंबर	7 अक्तूबर
3.	31 दिसम्बर	7 जनवरी
4.	31 मार्च	30 अप्रैल ।

ख- संदाय की ढंग

(4) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां कर किसी चालान के बिना केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त किया जाता है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कटौतीकर्ता इस प्रकार कर कटौती की रिपोर्ट और जो ऐसी राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी है केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में-

(क) उक्त मास के लिए कटौतीकर्ता द्वारा कर कटौती के संबंध में और उसकी रिपोर्ट महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को मास के अंत से दस दिन के भीतर प्ररूप सं0 24छ में विवरणी जमा करेगा ; और

(ख) अभिकरण द्वारा प्रत्येक कटौतीकर्ता की बाबत जिसने कर कटौती राशि जमा की है, द्वारा उत्पन्न संख्या (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् खाता पहचान संख्या कहा गया है) सूचित करेगा ।

(5) उपधारा (4) के प्रयोजन के लिए महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) डाटा को सुरक्षित रूप में रखने की प्रक्रिया, रूपविधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा संचलन सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट सूचना देने की ढंग के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी भी होगा ।

(6) (i) जहां कर किसी आय-कर चालान के साथ जमा किया गया है, इस प्रकार कटौती या जमा किए गए कर की रकम उपनियम (1) के खंड (ख) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या कोई प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में प्रेषण द्वारा केंद्रीय सरकार के खाते में जमा होगी ;

(ii) जहां कर खंड (i) के अनुसरण में जमा होता है नियम 125 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषित कर कटौती किसी इलेक्ट्रानिक आय-कर चालान के साथ जमा होगी ।

(7) इस नियम के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को रकम का इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषण का वही अर्थ होगा यदि रकम -

(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इंटरनेट बैंककारी सुविधा के माध्यम से प्रेषित की जाती है ; या

(ख) डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रेषित की जाती है ।

(8) जहां कर कटौती 1 अप्रैल, 2010 से पहले की गई है इस नियम के उपबंध आय-कर (.............संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रस्थापन से पहले इस नियम के उपबंध तत्काल लागू थे, समझा जाएगा ।

धारा 203 के अधीन स्रोत पर काटे गए कर का प्रमाणपत्र देना

31.(1) किसी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर काटे गए कर का प्रमाणपत्र अध्याय 17ख के अनुसरण में या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन कर्मचारी के निमित्त नियोजक द्वारा कर के संदाय का प्रमाणपत्र निम्नलिखित में-

(क) यदि कर कटौती या संदाय धारा 192 के अधीन की जाती है तो प्ररूप सं. 16 में होगा ; और

(ख) यदि कर कटौती या संदाय अध्याय 17ख के किसी अन्य उपबंध के अधीन की जाती है तो प्ररूप सं. 16क में होगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :-

(क) कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का विधिमान्य स्थायी खाता संख्या (पैन) ;

(ख) कटौतीकर्ता का विधिमान्य कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या (टैन) ;

(ग) (i) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, चालान को पेश किए जाने के बिना कर कटौती को जहां जमा किया जाता है खाता पहचान संख्यांक या संख्यांकों ;

(ii) बैंक के माध्यम से संदाय की दशा में चालान पहचान संख्यांक या संख्यांकों ।

(घ) (i) स्रोत पर कर कटौती के संबंधित त्रैमासिक विवरणी की प्राप्ति संख्या जिसे नियम 31क के उपबंधों के अनुसरण में दिया गया है ;

(ii) स्रोत पर कर कटौती के लिए खंड (i) में जहां आय 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य है निर्दिष्ट विवरणी की दशा में सभी संबंधित तिमाही विवरणियों के प्राप्ति संख्यांक ।

(3) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रमाणपत्र, यथास्थिति, कर्मचारी या संदायकर्ता को, जो स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के अनुसार हैं और उक्त सारणी के स्तंभ (4) में कि तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समय द्वारा देने होंगे ।

सारणी

क्रम सं.	प्ररूप सं.	नियतकालिक	देय तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	16	वार्षिक	वित्तीय वर्ष जिसमें आय संदत्त की गई है और कर कटौती की गई है के तत्काल अनुगामी वित्तीय वर्ष के मई की 31 तारीख तक
2.	16क	तिमाही	स्रोत पर कर कटौती की विवरणी नियम 31क के अधीन देने के लिए नियत तारीख से पंद्रह दिन के भीतर

(4) यदि कोई निर्धारिती वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोजक द्वारा नियोजित किया जाता है, प्रत्येक नियोजक द्वारा ऐसे निर्धारिती जब वह नियोजित किया गया था की संबद्ध अवधि का प्ररूप सं. 16 में भाग क में, प्रमाणपत्र

जारी करेगा और भाग ख प्रत्येक नियोजक द्वारा या निर्धारिती के विकल्प पर अंतिम नियोजक द्वारा जारी हो सकेगा ।

(5) कटौतीकर्ता प्ररूप सं. 16 या प्ररूप सं. 16क में प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी कर सकेगा, यदि कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का इस प्रकार जारी मूल प्रमाणपत्र खो जाता है और वह दूसरी प्रति के लिए जारी करने के लिए अनुरोध करता है तथा ऐसे प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति कटौतीकर्ता के द्वारा दूसरी प्रति के रूप में प्रमाणित है ।

(6) (i) जहां कोई प्रमाणपत्र प्ररूप सं. 16 में दिया जाना है कटौतीकर्ता का यह विकल्प होगा कि ऐसे प्रमाणपत्रों पर प्राधिकृत करने को अंकीय हस्ताक्षर का उपयोग कर सकेगा ।

(ii) खंड (i) के अधीन जारी प्रमाणपत्रों की दशा में कटौतीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) उपनियम (2) के उपबंधों का अनुपालन किया है ;

(ख) एक बार प्रमाणपत्र अंकीय हस्ताक्षरित किया जाता है प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु में परिवर्तन संशोधन योग्य नहीं हैं ; और

(ग) प्रमाणपत्र पर एक नियंत्रक संख्या होगी और ऐसे प्रमाणपत्रों की लॉग कटौतीकर्ता द्वारा रखी जाएगी ।

(7) जहां कोई प्रमाणपत्र 1 अप्रैल, 2010 से पहले कर कटौती के लिए दिया जाता है इस प्रकार दिए गए प्ररूप नियमों के उपबंधों के अनुसरण में होगा मानो वे आयकर (संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन के ठीक पहले से ही थे ।

स्पष्टीकरण.- इस नियम और नियम 27घ के प्रयोजन के लिए , चालान पहचान संख्या से बैंक शाखा की मूल सांख्यिकी विवरणी पर समाविष्ट संख्या अभिप्रेत है जहां कर जमा किया जाता है बैंक द्वारा जिस तारीख को कर जमा किया जाता है और चालान का क्रम संख्या दी जाती है ।

धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन कर कटौती की विवरणी

31क. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो अध्याय 17ख के अधीन कर कटौती के लिए उत्तरदायी है, धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित तिमाही विवरणियां देगा, अर्थात् :-

(क) धारा 192 के अधीन कर कटौती के विवरणी प्ररूप सं. 24थ में ;

(ख) धारा 193 से धारा 196घ के अधीन कर कटौती की विवरणी -

(i) कटौतीकर्ता, जो किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी या निवासी किन्तु सामान्यतः निवासी नहीं हैं होने के कारण अनिवासीय भारतीय हैं प्ररूप 27थ में ; और

(ii) सभी अन्य कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्ररूप 26थ में ।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक देनी होगी,-

सारणी

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष के तारीख को समाप्त होने वाली तिमाही	नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	30 जून	वित्तीय वर्ष की 15 जुलाई
2.	30 सितम्बर	वित्तीय वर्ष की 15 अक्तूबर
3.	31 दिसम्बर	वित्तीय वर्ष की 15 जनवरी

4.	31 मार्च	वित्तीय वर्ष जिसके लिए कटौती की गई है, के तत्काल पश्चात् के वित्तीय वर्ष की 15 मई

(3) (i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी को निम्नलिखित ढंग में से किसी एक में दी जा सकेगी, अर्थात् :-

(क) उचित प्ररूप में विवरणी देनी होगी ;

(ख) उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानकों के अनुसरण में, प्ररूप 27क में विवरणी के सत्यापन के साथ इलैक्ट्रानिक विवरणी देनी होगी ।

(ii) जहां,-

(क) कटौतीकर्ता सरकार का कोई कार्यालय है ; या

(ख) कटौतीकर्ता किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी है ; या

(ग) कटौतीकर्ता कोई व्यक्ति है जो पूर्व वित्तीय वर्ष के तत्काल पश्चात् धारा 44कख के अधीन अपने लेखों का संपरीक्षा कराना अपेक्षित है ; या

(घ) वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के किसी विवरणी में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के अभिलेखों की संख्या बीस या अधिक है,

कटौतीकर्ता खंड (i) के मद (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी देगा ।

(iii) जहां कटौतीकर्ता खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति है, उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी उसके विकल्प पर, खंड (i) के मद (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग में परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(4) कटौतीकर्ता कर कटौती की विवरणी तैयार करते समय, -

(i) विवरणी में अपना कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टैन) कोट करेगा ;

(ii) विवरणी में अपना स्थायी लेखा संख्या (पैन) सिवाय उन मामलों में जहां कटौतीकर्ता सरकार का कोई कार्यालय है, कोट करेगा ;

(iii) सभी कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के स्थायी खाता संख्या कोट करेगा ;

(iv) सरकार को कर संदाय की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, खाता पहचान संख्या या चालान पहचान संख्या भी है, देगा ।

(5) महानिदेशक आयकर (प्रणाली) विवरणी को देने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा इस प्रकार विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी को देने के संबंध में दिनप्रतिदिन का प्रशासन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(6) जहां स्रोत पर कर कटौती की कोई विवरणी 1 अप्रैल 2010 से पहले कर कटौती के लिए दी जाती है इस नियम और नियम 27क के उपबंध मानो वे आयकर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन या लोप से तत्काल पहले वे थे लागू होंगे ।

नियम 206ग की उपधारा (3) के परंतु के अधीन कर संग्रहण की विवरणी

31कक. (1) प्रत्येक संग्रहकर्ता धारा 206गकी उपधारा (3) के परंतुक के उपबंधों के अनुसरण में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्ररूप 27ङ्ख में तिमाही विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक देनी होगी,-

सारणी

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष के तारीख को समाप्त होने वाली तिमाही	नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	30 जून	वित्तीय वर्ष की 15 जुलाई
2.	30 सितम्बर	वित्तीय वर्ष की 15 अक्तूबर
3.	31 दिसम्बर	वित्तीय वर्ष की 15 जनवरी
4.	31 मार्च	वित्तीय वर्ष जिसके लिए कटौती की गई है, के तत्काल पश्चात् के वित्तीय वर्ष की 15 मई

(3) (i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी को निम्नलिखित ढंग में से किसी एक में दी जा सकेगी, अर्थात् :-

(क) उचित प्ररूप में विवरणी देनी होगी ;

(ख) उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानकों के अनुसरण में, प्ररूप 27क में विवरणी के सत्यापन के साथ इलैक्ट्रानिक विवरणी देनी होगी ।

(ii) जहां,-

(क) कटौतीकर्ता सरकार का कोई कार्यालय है ; या

(ख) कटौतीकर्ता किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी है ; या

(ग) कटौतीकर्ता कोई व्यक्ति है जो पूर्व वित्तीय वर्ष के तत्काल पश्चात् धारा 44कख के अधीन अपने लेखों का संपरीक्षा करना अपेक्षित है ; या

(घ) वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के किसी विवरणी में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के अभिलेखों की संख्या बीस या अधिक है,

कटौतीकर्ता खंड (i) के मद (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी देगा ।

(iii) जहां कटौतीकर्ता खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति है, उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी उसके विकल्प पर , खंड (i) के मद (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग में परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(4) कटौतीकर्ता कर कटौती की विवरणी तैयार करते समय, -

(i) विवरणी में अपना कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टैन) कोट करेगा ;

(ii) विवरणी में अपना स्थायी लेखा संख्या (पैन) सिवाय उन मामलों में जहां कटौतीकर्ता सरकार का कोई कार्यालय है, कोट करेगा ;

(iii) सभी कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के स्थायी खाता सं. कोट करेगा ;

(iv) सरकार को कर संदाय की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, खाता पहचान संख्या या चालान पहचान संख्या भी है देगा ।

(5) महानिदेशक आयकर (प्रणाली) विवरणी को देने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा इस प्रकार विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी को देने के संबध में दिनप्रतिदिन का प्रशासन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(6) जहां स्रोत पर कर कटौती की कोई विवरणी 1 अप्रैल 2010 से पहले कर कटौती के लिए दी जाती है इस नियम के उपबंध मानो वे आयकर (संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन या लोप से ठीक पहले थे वैसे ही लागू होंगे ।

(ख) नियम 37क का लोप किया जाएगा ।

(ग) नियम 37गक और नियम 37घ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"धारा 206ग के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण को सरकारी खाते में संदाय करने का समय और ढंग

37गक.

(1) सरकार के किसी कार्यालय द्वारा धारा 206ग की उपधारा (1) या उपधारा (1ग) के उपबंधों के अनुसरण में, संगृहीत सभी राशियां केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में -

(क) उसी तारीख को, जिस तारीख किसी आयकर चालान को पेश किए बिना इस प्रकार कर संदत्त किया जाता है ; और

(ख) जहां कर किसी आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है वहां उस मास की अंत से जिसमें कर कटौती की जाती है सात दिन के भीतर संदत्त किया जाएगा ।

(2) सरकार के किसी कार्यालय से भिन्न संग्रहकर्ता द्वारा धारा 206ग की उपधारा (1) या उपधारा (1ग) के उपबंधों के अनुसरण में संगृहीत सभी राशियां केन्द्रीय सरकार को मास की अंतिम तारीख जिसको ऐसा संग्रहण किया जाता है से एक सप्ताह के भीतर केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त करना होगा ।

(3) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां किसी चालान को पेश किए बिना केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर संदत्त किया जाता है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, इस प्रकार संगृहीत कर की रिपोर्ट संग्रहकर्ता और जो केंद्रीय सरकार के जमा खाते में ऐसी राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी है, -

(क) महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को संग्रहकर्ता द्वारा संगृहीत कर के संबंध में और उस मास के लिए उसे रिपोर्ट मास की समाप्ति के दस दिन के भीतर प्ररूप 24छ में विवरणी जमा करेगा ; और

(ख) राशि जिसे जमा किया गया था के संबंध में, प्रत्येक संग्रहकर्ताओं को अभिकरण द्वारा व्युत्पन्न संख्यां (जिसे इसमें इसके पश्चात् खाता पहचान सं0 कहा गया है) सूचित करेगा ।

(4) उपनियम (3) के प्रयोजन के लिए, महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) डाटा को सुरक्षित रूप में रखने की प्रक्रिया, रूपविधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा डाटा के परिदान को सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट सूचना देने के ढंग के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी भी होगा ।

(5) (i) जहां कर किसी आय-कर चालान के साथ जमा किया गया है इस प्रकार कटौती या जमा किए गए कर की रकम धारा 206ग की उपधारा (1) या उपधारा (1ग) के अधीन केंद्रीय सरकार के जमा खाते में, उपनियम (1) के खंड (ख) या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या कोई प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में प्रेषण द्वारा जमा होगी ;

(ii) जहां कर खंड (i) के अनुसरण में जमा होता है नियम 125 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषित कर कटौती किसी इलेक्ट्रानिक आय-कर चालान के साथ जमा होगी ।

(6) इस नियम के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को रकम का इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषण का वही अर्थ होगा यदि रकम -

(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इंटरनेट बैंककारी सुविधा के माध्यम से प्रेषित की जाती है ; या

(ख) डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रेषित की जाती है ।

(7) जहां कर कटौती 1 अप्रैल, 2010 से पहले की गई है इस नियम के उपबंध आय-कर (.............संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रस्थापन से पहले मानो इस नियम के उपबंध तत्काल लागू थे ।

धारा 206ग(5) के अधीन स्रोत पर संगृहीत कर का प्रमाणपत्र

37घ (1) स्रोत पर कर संग्रहण का प्रमाणपत्र धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन प्ररूप 27घ में संग्रहकर्ता द्वारा दिया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :-

(क) कलेक्टी व्यक्ति का विधिमान्य स्थायी खाता सं. (पैन) ;

(ख) संग्रहकर्ता का विधिमान्य कर कटौती और संग्रहण लेखा सं. (टैन) ;

(ग) (i) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में चालान को पेश किए जाने के बिना कर कटौती को जहां जमा किया जाता है खाता पहचान संख्यांक या संख्यांकों ;

(ii) बैंक के माध्यम से संदाय की दशा में चालान पहचान संख्यांक या संख्यांकों ।

(घ) स्रोत पर कर संग्रहण से संबंधित तिमाही विवरणी की प्राप्ति सं. जिसे नियम 31कक के उपबंधों के अनुसरण में दिया गया है ;

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं 27घ में प्रमाणपत्र नियम 31कक के उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट स्रोत पर कर संगृहण की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर कलेक्टी को देनी होगी ।

(4) कटौतीकर्ता प्ररूप सं. 27घ में प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी कर सकेगा यदि कलेक्टी का इस प्रकार जारी मूल प्रमाणपत्र खो जाता है और वह दूसरी प्रति जारी करने के लिए अनुरोध करता है तथा ऐसे प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति कटौतीकर्ता के द्वारा दूसरी प्रति के रूप में प्रमाणित की जाती है ।

(5) जहां कोई प्रमाणपत्र 1 अप्रैल, 2010 से पहले कर संग्रहण के लिए दिया जाता है इस प्रकार दिए गए प्ररूप नियमों के उपबंधों के अनुसरण में होगा मानो वे आयकर (संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन के ठीक पहले से ही थे ।

(घ) परिशिष्ट 2 में,—

(i) प्ररूप सं0 16 और प्ररूप सं0 16क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप सं. 16

[नियम 31(1)(क) देखिए]

भाग क

वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण-पत्र				
नियोजक का नाम और पता		कर्मचारी का नाम और पदनाम		
कटौतीकर्ता का पैन	कटौतीकर्ता का टैन	कर्मचारी का पैन		
सी.आई.टी (टीडीएस) पता... .... नगर..............................पिन कोड................		निर्धारण वर्ष	अवधि	
			से	तक

संक्षेप में स्रोत पर कटौती किया गया कर			
तिमाही	धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन टीडीएस के मूल विवरण की प्राप्ति संख्या	कर्मचारी से संबंधित कटौती किए गए कर की रकम	कर्मचारी से संबंधित जमा/विप्रेषित किए गए कर की रकम
तिमाही 1			
तिमाही 2			
तिमाही 3			
तिमाही 4			
कुल			

भाग ख (टिप्पण 1 देखें)

संदत्त वेतन और किसी अन्य आय और काटे गए कर का ब्यौरा					
1.	सकल वेतन				
	(क)	धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	रु.		
	(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खक के अनुसार, जहां लागू हो)	रु.		
	(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप सं. 12खक के अनुसार, जहां लागू हो)	रु.		
	(घ)	कुल		रु.	
2.	घटाइए : धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते		रु.		
	भत्ता	रु.	रु.		

			रु.	रु.	
3	अतिशेष (1-2)			रु.	
4	कटौतियां :				
	(क) मनोरंजन भत्ता		रु.		
	(ख) नियोजन पर कर		रु.		
5	4(क) और (ख) का योग			रु.	
6.	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3-5)				रु.
7.	जोड़े : कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय				
	आय	रुपए			
				रु.	
8	सकल कुल आय (6+7)				रु.
9	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां (क) धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ				
	(क) धारा 80ग			सकल रकम	कटौती योग्य रकम
	(i)			रु.	
	(ii)			रु.	
	(iii)			रु.	
	(iv)			रु.	
	(v)			रु.	
	(vi)			रु.	
	(vii)			रु.	
	(ख) धारा 80गगग			रु.	रु.
	(ग) धारा 80गगघ			रु.	रु.
	टिप्पण : 1. धारा 80ग के अधीन कुल कटौती योग्य रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी । 2. तीन धाराएं अर्थात् 80ग, 80गगग और 80गगघ के अधीन कटौती योग्य कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नही होगी । (ख) अध्याय 6-क के अधीन अन्य धाराएं (उदाहरणार्थ, 80ङ, 80छ) ।				
			सकल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम
	(i) धारा................................		रु.	रु.	रु.
	(ii) धारा................................		रु.	रु.	अ
	(iii) धारा................................		रु.	रु.	रु.
	(iv) धारा................................		रु.	रु.	रु.

	(v) धारा...................................		रु.	रु.	रु.
10	अध्याय 6क के अधीन कटौती योग्य रकम का योग				रु.
11	कुल आय (8-10)				रु.
12	कुल आय पर कर				रु.
13	शिक्षा उपकर @ 3 % (क्रम सं0 12 में संगणित कर पर)				रु.
14	संदेय कर (12 + 13)				रु.
15	घटाएं धारा 89 के अधीन राहत (ब्यौरा संलग्न करें)				रु.
16	संदेय कर (14-15)				रु.

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री .... जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि .... रुपए [केवल .... (शब्दों में रुपए)] की राशि की कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा की गई है । मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तिकों दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक हैं ।

स्थान		
तारीख		कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर
पदनाम		पूरा नाम

टिप्पण :

1. यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती एक नियोजक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है तो, प्रत्येक नियोजक, उस अवधि से संबंधित प्ररूप सं0 16 में प्रमाणपत्र का भाग-क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के अधीन नियोजित था । निर्धारिती के विकल्प पर भाग-ख प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा जारी किया जा सकेगा ।
2. सरकारी कटौतीकर्ता उपाबंध-क संलग्न करें, यदि कर को आय-कर चालान प्रस्तुत किए बिना संदत्त किया गया है और उपाबंध-ख संलग्न करें यदि कर को आय-कर चालान के साथ संदत्त किया गया है ।
3. गैर सरकारी कटौतीकर्ता, उपाबंध-ख संलग्न करें ।
4. कटौतीकर्ता, आय-कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरण के विषय में है ।
5. यह प्ररूप, केवल 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए कर के संबंध में लागू होगा ।

उपाबंध-क

कटौती किए गए कर और बही प्रविष्टि के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा ।

(नियोजक द्वारा नियोजक कर्मचारी की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतानवार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएं)

क्रम सं0	कर्मचारी की बाबत जमा किया गया कर (रु0)	बही पहचान संख्यांक (बीआईएन)		
		प्ररूप सं0 24छ की प्राप्ति संख्या	बही समायोजन मिनी विवरण में डीडीओ अनुक्रम संख्या	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)
कुल				

टिप्पण :

टीडीएस के लिए स्तंभ में, टीडीएस, अधिभार (यदि लागू हो) और शिक्षा उपकर के लिए कुल रकम दें ।

अनुबंध

कटौती किए गए कर और चालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा ।

(नियोजक द्वारा कर्मचारी की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपदर्शित किया जाए)

क्रम सं०	कर्मचारी की बाबत जमा किया गया कर (रु०)	चालान पहचान संख्यांक (सीआईएन)		
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	कर जमा किए जाने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान क्रम संख्यांक
कुल				

टिप्पण :

1. टीडीएस के लिए स्तंभ में, टीडीएस, अधिभार (यदि लागू हो) और शिक्षा उपकर के लिए कुल रकम दें ।

प्ररुप सं. 16क

[नियम 31(1)(ख) देखिए]

वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण-पत्र				
कटौतीकर्ता का नाम और पता		कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम		
कटौतीकर्ता का पैन	कटौतीकर्ता का टैन	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का पैन		
सी.आई.टी (टीडीएस) पता... .... शहर..............................पिन कोड.................		निर्धारण वर्ष	अवधि	
			से	तक

संक्षेप में संदाय		
संदत्त/जमा की गई रकम	संदाय की प्रकृति	संदाय जमा की तारीख

कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत संक्षेप में कटौती किया गया कर			
तिमाही	धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन टीडीएस के मूल तिमाही विवरण की प्राप्ति संख्यांक	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत काटे गए कर की रकम	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा/विप्रेषित कर की रकम

I. कटौती किए गए और चालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं0	**कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर**	**बही पहचान संख्यांक (बीआईएन)**		
		प्ररुप सं0 24छ की प्राप्ति संख्या	**बही समायोजन मिनी विवरण में डीडीओ अनुक्रम संख्यां**	**वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)**
कुल				

II. कटौती किए गए और चालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा

(कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं0	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर	चालान पहचान संख्यांक (सीआईएन)		
	(रु0)	बैंक शाखा का बीएसआर कोड	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)	चालान क्रम संख्यांक
कुल				

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री .... जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि .... रुपए [केवल .... (शब्दों में रुपए)] की राशि की कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है । मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गयी जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है ।	
स्थान	
तारीख	कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर
पदनाम	पूरा नाम

टिप्पण :

1. सरकारी कटौतीकर्ता, मद I में जानकारी दें, यदि कर को आय-कर चालान के प्रस्तुत किए बिना प्रस्तुत किया जाता है और यदि कर को आय-कर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो मद II में जानकारी दें ।
2. गैर सरकारी कटौतीकर्ता मद II में पूर्ण जानकारी दें ।
3. मद I और मद II में टीडीएस के लिए स्तंभ में, टीडीएस अधिभार (यदि लागू हो) और शिक्षा उपकर की कुल रकम दें ।
4. कटौतीकर्ता, आय-कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरण के विषय में है ।
5. यह प्ररूप केवल 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए कर के संबंध में लागू होगा ।

(ii) प्ररूप सं0 24 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं0 24छ"
[नियम 30 और नियम 37गक देखें]
टीडीएस/टीसीएस बही समायोजन विवरण

दिन मास वर्ष को समाप्त होने वाले मास के लिए अंतरण वाउचर

1. लेखा अधिकारी का ब्यौरा		पीएओ रजिस्ट्रीकरण संख्यां (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा दी गई)	
लेखा अधिकारी पहचान संख्यां (एआईएन)			
लेखा कार्यालय का नाम*			
लेखा कार्यालय का पता			
पता 1*		पता 2	
पता 3		पता 4	
नगर*		राज्य*	
पिन कोड*		ई मेल आईडी*	
एसटीडी कोड फोन नं0*			

1. उत्तरदायी व्यक्ति का ब्यौरा (टिप्पण 1 देखें)		पीएओ रजिस्ट्रीकरण संख्यां (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा दी गई)	
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम*			
उत्तरदायी व्यक्ति का पदनाम*			
उत्तरदायी व्यक्तियों का पता*			
पता 1*		पता 2	
पता 3		पता 4	
नगर*		राज्य*	
पिन कोड*		ई मेल आईडी*	
एसटीडी कोड फोन नं0*		उत्तरदायी व्यक्ति का मोबाईल नं0	

3. विवरण का प्रकार*

क्या इस महीने पहले विवरण फाइल किया गया है (हां/नहीं)	
यदि उपरोक्त का उत्तर 'हां' है तो मूल विवरण की अनंतिम प्राप्ति सं0 दे	

4. कटौतीकर्ता का प्रवर्ग जिसके लिए विवरण प्रस्तुत किया गया है : केन्द्रीय/राज्य सरकार

राज्य का नाम		मंत्रालय	
		उप मंत्रालय	

5. अंतरण वाउचरों का डीडीओवार विवरण

5क डीडीओवार टीडीएस-वेतन (24थ) का ब्यौरा

क्रम सं0*	डीडीओ रजिस्ट्रीकरण सं0 (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा दी गई)	डीडीओ कोड	डीडीओ का टैन*	डीडीओ का नाम*	पता 1*	पता 2	पता 3	पता 4	नगर*	राज्य*	पिनकोड*	ईमेल आइडी	कटौती किया गया / संग्रहीत (बेस_कर,अधिभार,शिक्षा_उपकर)*	सरकारी खाते को विप्रेषित कुल टीडीएस/टीसीएस (एजी/प्रसीसीए)*
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
	कुल													

5ख टीडीएस-गैर वेतन (26थ) के लिए अंतरित कुल टीडीएस/टीसीएस

क्रम सं0*	डीडीओ रजिस्ट्रीकरण सं0 (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा दिया गया)	डीडीओ कोड	डीडीओ का टैन*	डीडीओ का नाम*	पता 1*	पता 2	पता 3	पता 4	नगर*	राज्य*	पिनकोड*	ईमेल आइडी	कटौती किया गया संग्रहीत (बेस_कर,अधिभार,शिक्षा_उपकर)*	सरकारी खाते को विप्रेषित कुल टीडीएस/टीसीएस (एजी/प्रसीसीए)*
166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
	कुल													

5ग टीडीएस-अनिवासी (26थ) के लिए अंतरित कुल टीडीएस/टीसीएस

क्रम सं0*	डीडीओ रजिस्ट्रीकरण सं0 (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा दी गई)	डीडीओ कोड	डीडीओ का टैन*	डीडीओ का नाम*	पता 1*	पता 2	पता 3	पता 4	नगर*	राज्य*	पिनकोड*	ईमेल आइडी	कटौती किया गया संग्रहित (बेस_ कर,अधिभार,शिक्षा _ उपकर)*	सरकारी खाते को विप्रेषित कुल टीडीएस/टीसीएस (एजी/प्रसीसीए) *
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
	कुल													

5घ टीसीएस (26थ) के लिए अंतरित कुल टीडीएस/टीसीएस

क्रम सं0*	डीडीओ रजिस्ट्रीकरण सं0 (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा दी गई)	डीडीओ कोड	डीडीओ का टैन*	डीडीओ का नाम*	पता 1*	पता 2	पता 3	पता 4	नगर*	राज्य*	पिनकोड*	ईमेल आइडी	कटौती किया गया संग्रहित (बेस_ कर,अधिभार,शिक्षा _ उपकर)*	सरकारी खाते को विप्रेषित कुल टीडीएस/टीसीएस (एजी/प्रसीसीए) *
196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
	कुल													

6. संक्षेप में विवरण :

सुभिन्न डीडीओ की गणना	
मद 5 में प्रविष्टियों की संख्या	
रिपोर्ट की गई कुल टीडीएस/टीसीएस की रकम	
सरकारी खाते एजी/प्र.सीसीए) में विप्रेषित कुल टीडीएस/टीसीएस	

सत्यापन

मैं...सत्यपित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं ।

स्थान : उत्तरदायी व्यक्ति का नाम (टिप्पण 1 देखें)

तारीख :

टिप्पण

1. उत्तरदायी व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसे इस प्ररूप को भरने के लिए वेतन और लेखा अधिकारी (पीएओ) या कोषाधिकारी(टीओ) या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी ने उत्तरदायी बनाया है ।
2. सभी प्रकार के भुगतान टीडीएस-वेतन (24थ) टीडीएस-गैर वेतन (26थ) टीडीएस अनिवासी (27थ) से संबंधित भुगतानों को उसी प्ररूप में प्रस्तुत किया जाए ।
3. या तो डीडीओ रजिस्ट्रीकरण सं0 या डीडीओ कोड प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।
4. प्रत्येक मास में अधिकतम चार प्रविष्टियां (कटौतीवार की प्रकृति) प्रत्येक मास में डीडीओ के अनुसार हो सकती है ।
5. यह प्ररूप केवल 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए/संग्रह किए गए कर की बाबत लागू होगा ।
6. चिन्हित क्षेत्र जैसे* आज्ञापक हैं ।
7. मंत्रालयों का ब्यौरा ।

क्रम सं0	मंत्रालय
1.	सिविल
2.	रेलवे
3.	रक्षा
4.	दूरसंचार
5.	डाक

6 उपमंत्रालय के विवरण (सिविल मंत्रालय के मामले में)

क्रम सं0	उप मंत्रालय का नाम	क्रम सं0	उप मंत्रालय का नाम
1	कृषि	29	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
2	परमाणु ऊर्जा	30	ग्रामीण विकास और पंचायती राज
3	उर्वरक	31	विज्ञान और प्रौद्योगिकी
4	रसायन और पैट्रोरसायन	32	अंतरिक्ष
5	नागर विमानन और पर्यटन	33	इस्पात
6	कोयला	34	खान
7	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	35	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
8	वाणिज्य और वस्त्र	36	जनजातीय कार्य
9	पर्यावरण और वन तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	37	वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)
10	विदेश और प्रवासी भारतीय कार्य	38	पोत परिवहन और सड़क परिवहन और राजमार्ग
11	वित्त	39	शहरी विकास, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन
12	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	40	जल संसाधन
13	केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क-बोर्ड	41	राष्ट्रपति सचिवालय

14	नियंत्रक सहायता लेखा और संपरीक्षा	42	लोक सभा सचिवालय
15	केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	43	राज्य सभा सचिवालय
16	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	44	निर्वाचन आयोग
17	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	45	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन
18	गृह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	46	चंडीगढ़ प्रशासन
19	मानव संसाधन विकास	47	दादरा और नागर हवेली
20	उद्योग	48	गोवा दमण और दीव
21	सूचना और प्रसारण	49	लक्षद्वीप
22	दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	50	पांडिचेरी प्रशासन
23	श्रम	51	वेतन और लेखा अधिकारी (संपरीक्षा)
24	विधि और न्याय और कंपनी कार्य	52	गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत
25	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन	53	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार
26	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	54	अन्य
27	योजना सांख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन		
28	विद्युत		

7 राज्यों का विवरण

क्रम सं0	राज्य का नाम
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह
2	आन्ध्र प्रदेश
3	अरुणाचल प्रदेश
4	असम
5	बिहार
6	चंडीगढ़
7	छतीसगढ़
8	दादरा और नागर हवेली
9	दमण और दीव
10	दिल्ली
11	गोवा
12	गुजरात
13	हरियाणा
14	हिमाचल प्रदेश
15	जम्मू-कश्मीर
16	झारखंड
17	कर्नाटक
18	केरल
19	लक्षदीप
20	मध्य प्रदेश
21	महाराष्ट्र
22	मणिपुर
23	मेघालय
24	मिजोरम
25	नागालैंड
26	उड़ीसा
27	पुडुचेरी
28	पंजाब
29	राजस्थान
30	सिक्किम
31	तमिलनाडु
32	त्रिपुरा
33	उत्तर प्रदेश
34	उत्तराखंड
35	पश्चिमी बंगाल

(iii) प्ररूप सं0 27घ के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 27घ

[नियम 37घ देखिए]

स्रोत पर संग्रहीत कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग के अधीन प्रमाण-पत्र				
संग्रहण का नाम और पता		कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम		
संग्रहण का पैन	संग्रहणकर्ता का टैन	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का पैन		
सी.आई.टी(टीडीएस) पता... .... शहर..............................पिन कोड................		निर्धारण वर्ष	अवधि	
			से	तक

संक्षेप में प्राप्ति		
प्राप्त/विकलित रकम	प्राप्ति की प्रकृति	प्राप्ति/विकलन की तारीख

संक्षेप स्रोत पर संग्रहीत कर			
तिमाही	धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन टीसीएस के मूल तिमाही विवरण की प्राप्ति संख्या	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत संग्रहीत कर की रकम	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा/विप्रेषित कर की रकम

I. संग्रहीत कर और बही प्रविष्टि के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर
(संग्रहणकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत संग्रहीत और जमा किए गए कर का ब्यौरा भुगतान वार उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं0	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर	बही समायोजन संख्यांक (बीआईएन)		
		पीएओ/सीडीडीओ/डीडीओ द्वारा दी गई बीआईएन संख्या	बही प्रमाणपत्र विनिर्दिष्ट में डीडीओ अनुक्रम संख्या	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)

II. संग्रहीत कर और चालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा
(संग्रहणकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत संग्रहीत और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं0	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति जमा किया गया कर	चालान पहचान संख्यांक (सीआईएन)		
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)	चालान क्रम संख्यांक
कुल				

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री .... जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि .... रुपए [केवल .... (शब्दों में रुपए)] की राशि का स्रोत पर संग्रह किया गया है और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया गया है । मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गयी जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक हैं ।	
स्थान	
तारीख	कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर
पदनाम	पूरा नाम

टिप्पण :

1. सरकारी कटौतीकर्ता, मद I में जानकारी दें यदि कर को आय-कर चालान के प्रस्तुत किए बिना प्रस्तुत किया जाता है और यदि कर को आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो मद II में जानकारी दें ।
2. गैर सरकारी संग्रहणकर्ता मद II में पूर्ण जानकारी दें ।
3. मद I और मद II में, टीसीएस के लिए स्तंभ में, टीसीएस अधिभार (यदि लागू हो) और शिक्षा उपकर की कुल रकम दें
4. संग्रहणकर्ता, आय-कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीसीएस विवरण के विषय में है ।
5. यह प्ररूप केवल 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए कर के संबंध में लागू होगा ।

[अधिसूचना सं. 41/2010/फा. सं. 142/27/2009-एसओ (टीपीएल)]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना का.आ. 1211(अ) तारीख 21-5-2010 द्वारा आय-कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2010 अंतिम बार संशोधित किए गए ।